

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012के अंतर्गत श्री नरसिंह साव पिता- श्री इश्वरी साव, निवासी ग्राम: पचरा, थाना: मान्डू : रामगढ़ (झारखण्ड) को सी वी ए, 1957आधिनियम के तहत ग्राम: बिंगलात, सराधु & होन्हे,(रैयाती) खाता सं. 45, 31, 31, 2, 53 & 46 प्लॉट सं. 413, 305, 305, 1422, 222 & 568, कुल रकबा: - 2.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfIELDS.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है , तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त ग्राम: पचरा, थाना: मान्डू : रामगढ़ (झारखण्ड) को सी वी ए, 1957आधिनियम के तहत ग्राम: बिंगलात, सराधु & होन्हे,(रैयाती) खाता सं. 45, 31, 31, 2, 53 & 46 प्लॉट सं. 413, 305, 305, 1422, 222 & 568, कुल रकबा: - 2.00 एकड़ भूमि, के तहत श्री नरसिंह साव पिता- श्री इश्वरी साव, निवासी ग्राम: पचरा, थाना: मान्डू : रामगढ़ (झारखण्ड) के निवासी के भूमि के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

21-11-12
29/11/12